



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1944 (श०)  
(सं० पटना 323) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जून 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

2 जून 2022

सं० एम० ०१-०७/२०२२-३६—बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन, २०२२ से संबंधित महामहिम राज्यपाल, बिहार द्वारा निम्न अधिसूचना सं० एम० ०१-०७/२०२२-३६ दिनांक ०२.०६.२०२२ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना संख्या-३२२/बिहार-वि.प./२०२२ (एम.एल.ए.)(१) दिनांक ०२.०६.२०२२ (हिन्दी एवं अंग्रेजी), तथा रिटर्निंग ऑफिसर एवं सह-टंक रिटर्निंग ऑफिसर की अधिसूचना संख्या-३२२/बिहार-वि.प./२०२२ (एम.एल.ए.)(२) दिनांक ०२.०६.२०२२ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संप्रसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मिथिलेश कुमार साह,  
संयुक्त सचिव-साह-संयुक्त मुख्य  
निर्वाचन प्रदाधिकारी, बिहार।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001/ दिनांक 2 जून 2022 ज्येष्ठ 12, 1944 (शक्र)

सं. 322/बिहार-वि.प.2022(एम.एल.ए.) (2) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य सरकार के पत्रवार्ता से एतद्वारा जारी 02 जून, 2022 को राज्य के शासकीय गजट में प्रकाशित राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाधिकृत करता है; और
- उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है।

रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाधिकृत अधिकारी (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (2)
श्री शैलेंद्र सिंह, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना	श्री पवन कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना

आदेश से,  
सुमन कुमार दास,  
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

Election Commission of India

## Notification

*Nirvachan Sudan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 2nd June, 2022  
Jyaishta 12, 1944 (Saka)*

No. 322/BR-LC 2022 (MLAs) (2):— In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Bihar, hereby: -

- designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Legislative Council of the State of Bihar, by the members of Legislative Assembly of the State, to be held in pursuance of the Governor's notification published in the official Gazette of the State on 02<sup>nd</sup> June, 2022: -

## TABLE

Officer Designated as Returning Officer 1	Officer Appointed as Assistant Returning Officer 2
Shri Shailendra Singh, Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna.	Shri Pawan Kumar Pandey, Joint Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna.

By order,  
SUMAN KUMAR DAS,  
Secretary to the Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 323-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 दिनांक 2 जून 2022 ज्येष्ठ 12, 1944 (शक्र)

सं. 322/बिहार-वि.प/2022(एम.एल.ए.)(1)—यत्, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 02 जून, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में विधान परिषद् के लिए सात सदस्य निर्वाचित करें।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

- |  |  |
|--|--|
| (क) नाम निर्देशित करने की अंतिम तारीख                    | — 09 जून, 2022 (गुरुवार);              |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख                    | — 10 जून, 2022 (शुक्रवार);             |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख                | — 13 जून, 2022 (सोमवार);               |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा         | — 20 जून, 2022 (सोमवार); और            |
| (ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा | — 22 जून, 2022 (बुधवार); निबत करता है; |

और  
(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियम करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

Election Commission of India

Notification

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated 2nd June, 2022  
Jyaishta 12, 1944 (Saka)

No. 322/BR-LC/2022 (MLAs) {1}—WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under Section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 02<sup>nd</sup> June, 2022 been pleased to call upon the members of the Legislative Assembly of the State, to elect seven members to the Legislative Council of the State: -

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby -

(A) appoints, with respect to the said election -

- the 09<sup>th</sup> June, 2022 (Thursday), as the last date for making nominations;
- the 10<sup>th</sup> June, 2022 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- the 13<sup>th</sup> June, 2022 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the 20<sup>th</sup> June, 2022 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- the 22<sup>nd</sup> June, 2022 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the State on the date specified above, for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,

Secretary to the Election Commission of India.

## निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

2 जून 2022

सं० एम० 01-07/2022-35—यतः बिहार राज्य में राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य की विधान परिषद के 07 (सात) सदस्यों के स्थान 21 जुलाई, 2022 को उनकी पदावधि समाप्त होने के कारण उनकी संवैधानिकता होने पर रिक्त होने वाले हैं जिसका विवरण इस प्रकार है—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	संवैधानिकता होने की तारीख
1.	अर्जुन साहनी	21.07.2022
2.	मो० क़मर अलम	
3.	गुलाम रसूल	
4.	रोज़िना नाज़िश	
5.	रमविजय कुमार सिंह	
6.	मुकेश साहनी	
7.	सी पी. सिन्हा उर्फ़ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा	

यह इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है।

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का. 43) की धारा 16 के अनुसार में जैसा कि भारत विधान आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार राज्य के राज्यपाल राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गये और आदेशों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद के लिए सात सदस्य निर्वाचित कर दें।

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,

मिथिलेश कुमार साहू,

संयुक्त सचिव—सह-संयुक्त मुख्य

निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

## Election Department

## Notification

2nd June 2022

No.-M0-01-07/2022-35 --WHEREAS, the seats of 07 (seven) members of the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the members of Legislative Assembly of the State are due to fall vacant on 21.07.2022 on retirement of those members, on the expiration of their term of office as detailed below:

S.No.	Name of Member	Date of Retirement
1.	Arjun Sahani	21.07.2022
2.	Md. Qamar Alam	
3.	Gulam Rasool	
4.	Rozina Nazish	
5.	Ranvijay Kumar Singh	
6.	Mukesh Sahani	
7.	C.P. Sinha Alias Chandeshwar Prasad Sinha	

WHEREAS, a Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is, hereby, pleased to call upon the Members of the Legislative Assembly of the State, to elect seven members to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of the Governor,

MITHILESH KUMAR SAHU,

Joint Secretary-cum-Joint Chief Electoral Officer, Bihar.